By Speed Post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional body set up under Article 338A of the Constitution of India)

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

Case No. SKM/1/2018/MRLY1/SEPROM/RU-I Dated: 08/05/2019

To,

1. The Chairman,
   Railway Board, Rail Bhawan,
   Rafi Marg,
   New Delhi-110001

2. The General Manager,
   Northern Central Railways,
   Subedarganj,
   Prayagraj (UP).
   (Tel: 0532- 2435109)
   (Fax: 0532- 2435102)

3. The Principal Financial Advisor
   & Chief Account Officer,
   North Central Railway,
   Subedarganj, Prayagraj (U.P.).

Sub: Representations dated 18/01/2018 and 27/02/2018 received from Shri Sanjay Kumar Meena and Shri Deshraj Meena, Account Clerk, North Central Railway Project Unit, IRCOT Complex, Behind Shankar Market, New Delhi regarding conspiracy for demotion.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the Headquarters of National Commission for Scheduled Tribes on 30/04/2019 at 12:30 P.M. under the Chairmanship of Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice- Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar/ राजेश्वर कुमार)
Assistant Director/ सहायक निदेशक
Tel: 011-24641640.

Copy to:

Shri Sanjay Kumar Meena and Shri Deshraj Meena,
Account Clerk,
North Central Railway Project Unit,
Ganga Parishar,
Prayagraj,
(Uttar Pradesh)
(Mob: 9785487573, 9887650810)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
2. NIC (please upload on the Commission's website).

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(सं0:SKM/1/2018/MRLY1/SEPROM/RU-I)

श्री संजय कुमार मीणा तथा श्री देशराज मीणा, एकाउंट कलर्क, उत्तर मध्य रेलवे, प्रोजेक्ट यूनिट, आईआरसीओटी कामप्लेक्स, नई दिल्ली के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले में, सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2019 को 12:30 बजे आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

2. श्री संजय कुमार मीणा तथा श्री देशराज मीणा, एकाउंट कलर्क, उत्तर मध्य रेलवे, प्रोजेक्ट यूनिट, आईआरसीओटी कामप्लेक्स, नई दिल्ली ने पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले में आयोग को अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया।

3. माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लिया एवं दिनांक 07.03.2019 को वित्त सलाहकार एवं प्रधान लेखाधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज तथा अभ्यावेदकों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण के पश्चात् पाया कि मामले में अभ्यावेदकों के साथ न्याय नहीं किया गया है। अतः आयोग ने प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसाएं कीः–

(क) तत्काल इनके पदावनति (के आदेश) को निरस्त करते हुए इन्हें लेखा लिपिक के पद पर बरकरार रखा जाए।

(ख) भविष्य में भी इनकी पदोन्नति के मामले में विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आलोक में सभी पदोन्नति के लिए इनकी अर्हता और सेवा शर्तों को नियमानुकूल और सही तरीके से जांच कर विभाग सभी उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करें और अभ्यावेक को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।

(ग) मामले में की गई कार्रवाई से आयोग को 15 दिन के अंदर अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. आयोग की दिनांक 07.03.2019 की सिटिंग की अनुशंसा के उत्तर में, उप–मुख्य कार्मिक अधिकारी/निर्माण लाइजन/अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद ने पत्र सं0 145/ई/शिकायत/एससीटी/2018/एनसी/लेखा–मुख्यात्र/01 दिनांक 29.03.2019 द्वारा उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/सामान्य, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद का 29.03.2019 की आख्या रिपोर्ट अग्रसारित की। उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/सामान्य, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद की रिपोर्ट में अपनी पूर्व में भेजी गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए बताया कि वित्त विभाग, उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन माननीय कैट के आदेश के उपरांत ही कोई कार्रवाई कर सकेगा।

5. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने रेलवे विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकरण में दिए गए उत्तर से असंतुष्टि प्रकट करते हुए दिनांक 30.04.2019 को 12:00 बजे रेलवे विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं अभ्यावेदकों के साथ प्रकरण में विचार–विमर्श एवं अभ्यावेदकों को न्याय प्रदान किया जा सके, के लिए सिटिंग आयोजित की। सिटिंग में उपस्थित होने के उत्तर में, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड ने अपने अ0शा0 पत्र 2018–ई(एससीटी)II/18/1 दिनांक 27.04.2019 द्वारा सूचित किया कि FA&CAO(F&G), उत्तर मध्य रेलवे, आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। अतः मुझे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करें। इसी प्रकार प्रधान वित्त सलाहकार, उत्तर मध्य रेलवे ने अ.शा. पत्र सं0 2019/Dy.FA&CAO/G/NCR/NCST/SKM&DRM दिनांक 25.04.2019 द्वारा सूचित किया कि FA&CAO(F&G), उत्तर मध्य रेलवे तथा अन्य संबंधित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। अतः मुझे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करें तथा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे ने अ.शा. पत्र सं0 2019/Dy.FA&CAO/G/NCR/NCST/SKM&DRM दिनांक 26.04.2019 द्वारा सूचित किया कि FA&CAO(F&G), उत्तर मध्य रेलवे तथा अन्य संबंधित अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे। अतः मुझे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान करें।

6. सिटिंग में उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से FA&CAO(F&G) तथा संबंधित अधिकारी एवं श्री संजय कुमार मीना एवं देशराज मीना आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

7. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने अभ्यावेदकों से कहा कि वे अपनी समस्याएं एवं रेलवे विभाग द्वारा की गई कार्रवाई बताए। अभ्यावेदकों ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा दिनांक 07.03.2019 की सिटिंग में जो आश्वासन दिया था उसके विपरीत कार्य किया जिससे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और हताश हैं। अतः न्याय दिलाने का कष्ट करें।

8. माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने उत्तर मध्य रेलवे के प्रतिनिधियों से कहा कि रेलवे प्रशासन द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में बताए। उत्तर मध्य रेलवे के प्रतिनिधियों ने अपने पत्र दिनांक 29.03.2019 का उल्लेख किया एवं बताया कि वह माननीय कैट के आदेश के उपरांत ही प्रकरण में उचित कार्रवाई कर सकेंगे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. उत्तर मध्य रेलवे के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि दोनों अभ्यावेदकों को 06.10.2015 को पदोन्नत किया गया था तथा बाद में आदेश दिनांक 22.01.2018 द्वारा पदावनत कर दिया गया। इसमें रेलवे प्रशासन की त्रुटि स्पष्ट है। अभ्यावेदकों का कोई दोष नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के पद भी रिक्त हैं जिसकी गणना की जानी चाहिए। अतः रेलवे प्रशासन द्वारा दोनों अभ्यावेदकों के हितों की रक्षा के लिए उचित माध्यम से रेलवे बोर्ड को सकारात्मक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए, जो अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों हितों के लिए सराहनीय कदम होगा। यदि रेलवे बोर्ड द्वारा अभ्यावेदकों के पक्ष में निर्णय आता है तो दोनों अभ्यावेदकों को माननीय कैट से अपना केस तुरन्त वापस लेना होगा।

10. आयोग ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद निम्न अनुशंसाएं की तथा यह निश्चित किया कि वित्त सलाहकार विभाग, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज प्रकरण में सकारात्मक प्रस्ताव उचित माध्यम से 15 दिन के अन्दर रेलवे बोर्ड को प्रेषित करें। तदुपरांत रेलवे बोर्ड प्रकरण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए 15 दिन के अंदर विचार करने का कष्ट करें। उत्तर मध्य रेलवे तथा रेलवे बोर्ड प्रकरण में की गई/की जाने वाली कार्रवाई की सूचना आयोग को एक महीने के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. उत्तर मध्य रेलवे, उपरोक्त प्रकरण में सकारात्मक विस्तृत प्रस्ताव बनाये तथा उसे रेलवे बोर्ड को उचित माध्यम से विचार करने हेतु प्रेषित करें। क्योंकि प्रकरण में उत्तर मध्य रेलवे के वित्त विभाग की त्रुटि हुई है जिसका दुष्परिणाम अभ्यावेदकों को भुगतना पड़ा है/पड़ रहा है।

2. माननीय कैट में विचाराधीन मामले को अभ्यावेदकों द्वारा तुरन्त वापस लेना होगा, यदि रेलवे बोर्ड उनके हित में पदोन्नति जारी रखता है और उन्हें वर्तमान पद पर कार्य करने की अनुमति दे दी जाती है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(सं0:SKM/1/2018/MRLY1/SEPROM/RU-I)

श्री संजय कुमार मीणा तथा श्री देशराज मीणा, एकाउंट कलर्क, उत्तर मध्य रेलवे, प्रोजेक्ट यूनिट, आईआरसीओटी कामप्लेक्स, नई दिल्ली के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियमों के उल्लंघन तथा पदावनत करने के मामले में, सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2019 को 12:30 बजे आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष
2. श्री ए.के. सिंह, सचिव
3. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
4. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
5. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
6. श्री आर.एस. मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

1. श्री योगेश कुमार श्रीवास्तव, FA&CAO(F&G)
2. श्रीमती जाह्नवी तिवारी, Dy. FA&CAO(G)
3. श्री एच.एन. चौधरी, Dy. CPO

अभ्यावेदक

1. श्री संजय कुमार मीना
2. श्री देशराज मीना